कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 974 / 12-1 :देहरादूनः दिनांकः 20 नवम्बर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद नैनीताल में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत सतोली से कफूड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.988 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/9471/2015)

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/89/2019/एफ0सी0/1756 दिनांक 17.11.2020।

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल की पत्र संख्या–228/12–1 दिनांक 09.08.2023, पत्र दिनांक 20.09.2023 एवं पत्र दिनांक 04.11.2023 **(प्रति संलग्न)** के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :–

शर्त संख्या	शर्त	आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि हस्तांतरण पश्चात ही वन भूमि सौपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.976 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम पुटगांव (धारी) खसरा नं० 1799, 24/3447 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानयी स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों के एकल प्लांटेशन से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाएगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से वाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि (क) खण्ड द्वारा 5.976 हे0, गैर वानिकी भूमि ग्राम पुटगांव (धारी) में खसरा नं० 1799, 2174/3497 मध्ये जिलाधिकारी, नैनीताल के आदेश पत्रांक 2857/12–ज्येड0ए0सी0/2021-22 दिनांक 19-11-2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों के आधार पर) रू० 20,15,012.00 (बीस लाख पन्द्रह हजार बारह मात्र) वन विभाग के पक्ष में इस कार्यालय के पत्रांक 2309/कैश दिनांक 15-11-2022 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक नैनीताल में नैफ्ट/आर०टी०जी०एस० चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक 1 से 2) वन विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा, ताकि प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा। (ख) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी भूमि ग्राम पुटगावं (धारी) में खसरा नं 1799, 2174/3497 मध्ये 5.976 हेक्टेयर सिविल भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश पत्रांक 2857/12–ज्येड०ए०सी०/2021-22 दिनांक 19-11-2022 के आधार पर अमल दरामद खतौनी में दर्ज करा दी गयी है। **उक्त भूमि को** आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने हेतु

	प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। (ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी.ए क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। (घ) राज्य सरकार विस्तृत सी.ए स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करेगी तथा रोपण के समय कम से कम 50: ओक एवं इसकी सहयोगी प्रजाति के पौंधों का रोपण किया जायेगा।	प्रस्ताव वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल की पत्र संख्या–557/12–1 दिनांक 04.11.2023 के द्वारा शासन को प्रेषित किया गया है।**(संलग्नक 3 से 8 व 8.1)** (ग) सी.ए क्षेत्र में पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक 9)** (घ) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की स्कीम संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण में 50 प्रतिशत ओक प्रजाति तथा इसकी सहयोगी प्रजाति के पौंधों का रोपण किया जाएगा।
4	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30-10-2002, 01-08-2003, 28-03-2008 एवं 09-05-2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998–एफ.सी (pt.2) दिनांक 18-09-2003, 5-2/2006–एफ.सी दिनांक 03-10-2006 एवं 5-3/2007–एफ.सी दिनांक 05-02-2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.988 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार मूल्य रू0 25,24,860.00 (पच्चीस लाख चौंबीस हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि 2988 हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य/एन0पी0वी0 ऑन लाईन जमा करा दिया गया है। **(संलग्नक 10)** (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को जमा करने के आशय का पत्र प्रस्तुत किया है। **(संलग्नक 11)**
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 171 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 14-07-2023 तथा 15-07-2023 को वन विभाग, लोक निर्माण विभाग व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें उक्त मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की 7 मीटर तथा 9 मीटर की चौड़ाई में पुनः गणना की गयी, जिसमें पाया गया है कि 07 मीटर चौड़ाई में 806 वृक्ष तथा 09 मीटर चौड़ाई में 1366 वृक्ष पाये गये हैं। **संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है। (संलग्नक–12)**
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल, (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 6 के अनुपालन में समस्त धनराशि ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किया गया है। कैम्पाकोष में जमा प्रति संलग्न है। **(संलग्नक 10 के अनुसार)**
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11-2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 7 के अनुसार गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11-2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा

	की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी।
8	एफआरए 2006 कर पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 8 के अनुपालन में एफआरए 2006 कर पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 9 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जायेंगे।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 10 के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाया जायेगा।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 11 के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। **(संलग्नक 13)**
12	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 12 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 13 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 14 के अनुपालन में मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 15 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के दिशा–निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 16 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 17 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 18 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों,

	जाएगी।	विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 19 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी, मान्य है।
20	पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 20 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, मान्य है।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 21 के अनुपालन में पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौंधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी, मान्य है।
22	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्तान एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 22 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी, मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के माध्यम से प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 23 के अनुपालन में यह रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र) 20/11

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या– 974 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

(आर0के0 मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,